



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224395
CG-DL-E-14012021-224395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]
No. 19]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2021/पौष 24, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2021/PAUSHA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

सा.का.नि.21(अ).—केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 674(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 27 अक्तूबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए थे;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 है ।
(2) ये 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगे ।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 125ज के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“125झ. मॉड्युलर हाईड्रोलिक ट्रेलर – भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2015 का 11) के अधीन बीआईएस विशिष्टियों के अनुकूल जो सदृश समय तक विनिर्दिष्ट हैं, समय-समय पर संशोधित एआईएस 158:2020 के अनुसार होंगे।”

[सं. आरटी-11036/88/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 15(अ), तारीख 07.01.2021 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2021

G.S.R. 21(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 674 (E), dated the 27th October, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette notification were made available to the public on the 27th October, 2020;

And, whereas, no objection and suggestion received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2021.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 125H, the following rule shall be inserted, namely:-

“125 I. Modular Hydraulic Trailer. – Modular Hydraulic Trailers shall be in accordance with AIS-158:2020, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are specified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”.

[No. RT-11036/88/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 15(E) dated 07.01.2021.